न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 286/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सताराम पुत्र भूराराम जाट निवासी जोगासर कुआं (गरल), तह0 व जिला बाडमेर		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर 2. ईसराराम पुत्र सोनाराम 3. जेहाराम पुत्र सोनाराम 4. वेहनाराम पुत्र सोनाराम 5. वालाराम पुत्र सोनाराम 6. लुम्भाराम पुत्र रामचन्द्र 7. पूराराम पुत्र रामचन्द्र 8. टीकमाराम पुत्र रामचन्द्र 9. लछाराम पुत्र चिमाराम 10. भैराराम पुत्र चिमाराम

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर दिनांक 09.05.2017 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2015 अनवान सताराम बनाम सरकार

उपस्थित–

1. श्री एम0एल0 खत्री वकील अपीलांट
2. श्री रूपाराम मूढ़ण, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 60/2015 सताराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर ग्राम गरल के खसरा नं0 130 रकबा 22.05 बीघा व ख0नं0 222 रकबा 108.05 बीघा तथा ग्राम जोगेश्वर कुआं के ख0नं0 350 रकबा 183 बीघा व ख0नं0 373 रकबा 97.03 बीघा भूमि, जो कि मूल ख0न0 222 व 350 का भाग थी, का आपसी सहमति से बंटवाडे अनुसार नामान्तरकरण सं0 84 दिनांक 13.09.2009 पारित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया गया। माफिक बंटवाडा प्राथी के हिस्से में ग्राम जोगासर कुआं के खसरा नं0 493/350 रकबा 77.05 बीघा तथा ग्राम गरल सुजानसिंह के ख0नं0 367/222 रकबा 37.15 बीघा आई। यह भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी के रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बने हुए है। प्रार्थी के खसरान के पडौस में विप्रार्थी सं0 2 से 11 की ग्राम गरल सुजानसिंह के ख0नं0 368/222 तथा ग्राम जोगासर कुआं के ख0नं0 494/350 की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेतो की लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौका कब्जा काश्त में अंतर है। प्रार्थी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र अपनी भूमि मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित रकबे से कम तरमीम होने तथा विप्रार्थीगण की भूमि मौके पर कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकित रकबे से अधिक तरमीम होने से इसे दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.5.17 द्वारा विधिसम्मत नही होने से खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–प्रार्थी ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार अपील का गुणावगुण पर विश्लेषण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट–प्रार्थी का तरमीम दुरूस्ती का आवेदन खारीज करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि मूल रूप से ख0नं0 222 व 350 का भाग थी, जो बाद में आपसी सहमति से बंटवाडा अनुसार जरिये ना0क0 84 राजस्व रेकर्ड में इनकी खातेदारी में दर्ज व तरमीम हुई। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर मौजूद कब्जा काश्त में अंतर होने से अपीलांट–प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया। जिसे राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 केम्प गरल में खारिज कर दिया गया। जो विधिविरूद्ध होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया।जवाब में रेस्पो0सं0 2 से 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि उल्लेखित खसरान की भूमि के सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से विभाजन के उपरांत

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अतः अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 सं0 1 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार प्रकरण नोटिस तामिली में चल रहा था। आदेशिका दिनांक 30.11.2015 के अनुसार वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विवादित खसरों की मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार बाडमेर से जरिये पत्रांक 05 दिनांक 01.01.2006 द्वारा तलब की गई। उक्त रिपोर्ट के अभाव में उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प गरल में निर्णित कर दी गई। जबकि आदेशिका दिनांक 15.10.2017 के अनुसार विप्रार्थी सं0 8, 10 व 11 की तामिली शेष थी। निर्णय में विद्वान उपखण्ड अधिकारी बाडमेर का मुख्य तर्क यह रहा कि प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु अंतर्गत धारा 136 के तहत प्रस्तुत आवेदन विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है, जो कि विधिसम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, राजस्व रेकर्ड/मौका रिपोर्ट व प्रकट तथ्यों के दृष्टिगत तरमीम दुरूस्ती हेतु विधिसम्मत कार्यवाही कर, पुनः न्यायोचित आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15 **अप्रेल, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

15.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर